10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म0प्र0।

प्र0क्रं0 /2018 पुनरीक्षण II/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2017/4876

देवकीबाई उर्फ पूनाबाई उर्फ सावित्रीबाई पत्नि दामोदर आयु 32 वर्ष जाति प्रजापति धंधा खेती निवासी जुगयाना मोहल्ला मुंगावली जिला अशोकनगर।

.....पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी

बनाम

(1)भैयालाल पुत्र जालमसिंह आयु 65 वर्ष जाति प्रजापति धंधा खेती निवासी जुगयाना मोहल्ला मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(2)श्रीराम पुत्र भैयालाल आयु 32वर्ष जाति प्रजापति धंधा खेती निवासी जुगयाना मोहल्ला मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

//पुनरीक्षण निगरानी आधीन धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध श्रीमान एस0डी0ओ0 न्यायालय परगना मुंगावली के प्र0क्रं0 55अपील/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.08.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत//

माननीय महोदय,

सेवा में सादर निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत है।

(1) यह कि निगरानीकर्ता द्वारा पेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय एस0डी0ओ0 परगना मुंगावली में प्र0क्रं0 55अपील/2014-15 प्रचलित है जिसमें विवादित भूमि स्थित ग्राम द्धेर परगना मुंगावली सर्वे क्रं0 194/5 रकवा 2.180 हे0 में से खरीदा गया रकवा 0.209 हे. जो दिनांक 04.02.2004 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदा है तत्पश्चात प्रतिअपीलार्थी भैयालाल द्वारा क्रं0 02 श्रीराम को सम्पूर्ण रकवे का विक्रयपत्र गोपनीय तरीके से अधिकारित रहे दिनांक 19.02.2013 को कर दिया गया जिस का नामांतरण पंजी क्रं0 27 पारित आदेश दिनांक 31.07.2013 से किया गया के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अवधि बाहर मानकर निरस्त करने में गंभीर भूल की गई है पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 05 अवधि विधान के संबंध में जो विलम्ब का कारण आवेदन में दर्शाया गया है उसकी अनदेखी करते हुये मनमाने तरीके से त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

देवकीबाई

......2........

श्री राजेन्द्र सिंह घाकड़ द्वारा आज 04/12/17 प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4/12-17

प0दि0 18.12.17

राजेन्द्र सिंह घाकड़ 04/12/17

(5)

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

II/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/4876.
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **जिला–अशोकनगर**

स्थान तथा दिनांक	देवकी बाई कार्यवाही तथा आदेश भैयालाल	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
12-01-2018	आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह घाकड अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया । 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 09.08.2017 का अवलोकन कर विचार किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं ठोस आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। प्रकरण दा0रिकार्ड हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	